(122)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/2485 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–6–17 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, रायसेन प्रकरण कमांक 2/अ–70/2016–17.

अनवर हुसैन आत्मज सैय्यद नाजिर हुसैन
कृषक पाटनदेव निवासी वार्ड क. 3 रायसेन
तहसील व जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती किरणबाई पत्नी जितेन्द्र कुशवाह
निवासी व कृषक वार्ड क. 14
पाटनदेव रायसेन
तहसील व जिला रायसेन .....अनावेदिका

श्री राजेश गिरी, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–6–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, रायसेन के समक्ष आवेदन पत्र के साथ अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन एवं तहसीलदार, रायसेन के आदेशों एवं सीमांकन कार्यवाही की प्रतियां प्रस्तुत कर ग्राम पाटनदेव स्थित खसरा नम्बर 312/1/2/1/2 रकबा 1.215 हेक्टेयर में से रकबा 0.809 हेक्टेयर पर आवेदक द्वारा किये गये अवैध कब्जा हटाने का अनुरोध किया गया । नायब तहसीलदार, रायसेन द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–70/2016–17 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा 29–6–17 को अंतरिम आदेश पारित

कर आवेदक का आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा सीमांकन आदेश को राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी में चुनौती दी गई है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा बेदखली की कार्यवाही स्थगित नहीं करने में त्रुटि की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र का सूक्ष्मता से परिशीलन किये बगैर जल्दबाजी में सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर, उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित नहीं करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन आदेश दिनांक 6–6–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/2000 में दिनांक 14–3–2018 को आदेश पारित कर आवेदक की निगरानी निरस्त की गई है । अतः इस न्यायालय में निगरानी लम्बित होने से संहिता की धारा 250 के प्रकरण में आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में स्थगन मांगे जाने के विरूद्ध लम्बित यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर